कार्यवृत्त

मंगलवार, 12 कार्तिक, शक संवत्, 1937

(दिनांक 03 नवम्बर, 2015 ई0)

खण्ड–43
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा भा0ज0पा0 के अन्य सदस्य सरकार द्वारा गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी घोषित करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराने को लेकर अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी बात प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। नियम 310 की सूचना परम्परानुसार प्रश्नकाल के पश्चात उठाई जाती है। श्री अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे प्रश्नकाल के पश्चात अपनी बात उठा लें।

श्री अध्यक्ष ने भा0ज0पा0 सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया परन्तु श्री अध्यक्ष के अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

इस पर भा.ज.पा. के सभी सदस्य ''वेल'' में आकर अपनी अपनी बात जोर जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और घोर व्यवधान होने लगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने 11:10 पर सदन की कार्यवाही 12:20 तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

उ0प्र0 के पूर्व मा0 सदस्य स्व0 श्री पूरन सिंह माहरा तथा उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व मा0 सदस्य श्री खड़क सिंह वोहरा के निधन पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने शोकोद्गार व्यक्त किये।

मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, बसपा नेता श्री हरिदास, उ0क्रां0द0 नेता श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा मा0 नेता सदन ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। माननीय अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचा दी जाएगी।

तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व भा.ज.पा. के अन्य सदस्य नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने तथा गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी घोषित करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करने लगे।

घोर व्यवधान के मध्य नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गई जो पढ़ी हुई मानी गईः–

1 श्री मदन कौशिक — उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विभाग की पति–पत्नी स्थानांतरण नियमावली में संवर्ग के आधार पर निर्धारण केवल दुर्गम में स्थानांतरित और केवल विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत पति–पत्नी को ही लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अमृता रावत वन ग्रामों के लिए यातायात आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना अल्मोड़ा के स्याल्दे में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

4. डा0 प्रेम सिंह राणा नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नलई से साधूनगर होते हुए सिसईखेड़ा तक 18 कि.मी. क्षतिग्रस्त सड़क के सम्बन्ध में।

5. श्री बिशन सिंह चुफाल जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र अस्कोट में डाक्टर के रिक्त पद के सम्बन्ध में।

6. श्री तीरथ सिंह रावत विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त डाक्टरों के पदो ंके सम्बन्ध में।

7. श्री चन्दन राम दास विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में कटपुड़ियाछीना क्षेत्र में अलग विकास खण्ड खोले जाने के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम– 310 तथा नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनायें सदन व्यवस्थित न होने के कारण अस्वीकृत करते हैं।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2015 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ''राज्य के वित्त पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन'' (उत्तराखण्ड सरकार) सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 वर्ष 2015 (उत्तराखण्ड सरकार) तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा, जून, 2013 (प्रतिकिया, राहत एवं तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना) की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–2 (उत्तराखण्ड सरकार) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य पेयजल मंत्री ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 की धारा–50 (5) (क) के अन्तर्गत ''उत्तराखण्ड पेयजल निगम के वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन'' सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के अधीन सतर्कता विभग एवं सतर्कता अधिष्ठान पर जारी की गई अधिसूचना संख्याः 63/XLIII(1)/ 15–38(36)12, दिनांक 03 जून, 2015, को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सभापति, विशेषाधिकार समिति, विधान सभा, उत्तराखण्ड ने तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का वर्ष 2015 का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत दुलम के तोक ठागाधार गाडाखरिक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री पूरन सिंह दानू, निवासी ग्राम दुलम (गाडाखरिक) जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत दुलम के तोक ठागाधार गाडाखरिक को राजस्व ग्राम बनाने के सम्बन्ध में'' श्री दीवान सिंह, निवासी ग्राम ठागधार पो0 नाचती जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल गोगिना में स्कूल के आगे सुरक्षा दीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जसपाल सिंह, निवासी ग्राम व पो0 गोगिना, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के प्राथमिक पाठशाला रातिर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चतुर सिंह, निवासी ग्राम मल्खाडुर्गचा, पो0 रातिर केटी, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला फुरमुला के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती भागीरथी देवी, निवासी ग्राम व पो0 गोगिना, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगिना तोक दर्धो, सूगा, गिरपट्टा, धारी, धारी पातल, लोहारकुडा में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के सम्बन्ध में'' श्री प्रवीण सिंह, निवासी ग्राम पंचायत व पो0 गोगिना, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज रातिरकेटी में हाईस्कूल एवं इण्टर का परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम मल्खाडुर्गचा पो0 रातिरकेटी, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दोबाड़ में सरण से दोबाड़ ट्राली को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती जानकी देवी, निवासी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दोबाड़, विकासखण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के ग्राम पंचायत दोबाड में ए0एन0एम0 सेन्टर स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती जानकी देवी, निवासी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दोबाड, पट्टी मल्ला दानपुर, विकासखण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा का नाम याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया, परन्तु याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 02 नवम्बर, 2015 की बैठक में दिनांक 03 नवम्बर, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

नवम्बर, 2015

03 मंगलवार

1.विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
2. ''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015'' का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
3. ''भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015'' का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
8. उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
9. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
10. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

> ''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

3. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

> ''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''
>
> शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

(1) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 14060 हजार (एक करोड़ चालीस लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(2) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत **रू0 693597 हजार (उनहत्तर करोड़ पैतीस लाख संतानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(3) घोर व्यवधान के ही मध्य विधि एवं न्याय मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 388380 हजार (अड़तीस करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(4) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 73200 हजार (सात करोड़ बत्तीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(5) घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 2933071 हजार (दो सौ तिरानबे करोड़ तीस लाख इक्हत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(6) घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 5341562 हजार (पॉच सौ चौतीस करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(7) घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 38910 हजार (तीन करोड़ नवासी लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(8) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत **रू0 29900 हजार (दो करोड निन्यानवे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–09 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(9) घोर व्यवधान के ही मध्य गृह मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 519445 हजार (इक्यावन करोड़ चौरानबे लाख पैतालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(10) घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 5189996 हजार (पॉच सौ अठ्ठारह करोड़ निन्यानबे लाख छियानबे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(11) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 2796387 हजार (दो सौ उन्यासी करोड़ तिरसठ लाख सत्तासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(12) घोर व्यवधान के ही मध्य पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 5625017 हजार (पॉच सौ बासठ करोड़ पचास लाख सत्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(13) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 164486 हजार (सोलह करोड़ चौवालीस लाख छियासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(14) घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 2859591 हजार (दो सौ पचासी करोड़ पंचानवे लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(15) घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 344994 हजार (चौतीस करोड़ उन्चास लाख चौरानबे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(16) घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 2506921 हजार (दो सौ पचास करोड़ उन्हत्तर लाख इक्कीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(17) घोर व्यवधान के ही मध्य सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 106260 हजार (दस करोड़ बासठ लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(18) घोर व्यवधान के ही मध्य ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 2219900 हजार (दो सौ इक्कीस करोड़ निन्यानबे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(19) घोर व्यवधान के ही मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 5313626 हजार (पॉच सौ इक्तीस करोड़ छत्तीस लाख छब्बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(20) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 उर्जा के अन्तर्गत **रू0 343200 हजार (चौतीस करोड़ बत्तीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(21) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 4004000 हजार (चार सौ करोड़ चालीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(22) घोर व्यवधान के ही मध्य उद्योग मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 1356569 हजार (एक सौ पैतीस करोड़ पैसठ लाख उन्हतर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(23) घोर व्यवधान के ही मध्य परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 122894 हजार (बारह करोड़ अठाईस लाख चौरानबे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(24) घोर व्यवधान के ही मध्य खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 35230 हजार (तीन करोड़ बावन लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(25) घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 93600 हजार (नौ करोड़ छत्तीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(26) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत **रू0 611574 हजार (इक्सठ करोड़ पन्द्रह लाख चौहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(27) घोर व्यवधान के ही मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 139894 हजार (तेरह करोड़ अठानबे लाख चौरानबे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(28) घोर व्यवधान के ही मध्य उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 236405 हजार (तेईस करोड़ चौसठ लाख पांच हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(29) घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 3008072 हजार (तीन सौ करोड़ अस्सी लाख बहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(30) घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के **रू0 757476 हजार (पचहतर करोड़ चौहत्तर लाख छिहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2015–2016 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2015–2016 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2015–2016 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2015–2016 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव ने किया कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–13, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 01:25 पर सदन की कार्यवाही 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

03:00 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 03:30 तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 03:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा भा0ज0पा0 के अन्य सदस्य सरकार द्वारा गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी घोषित करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराने को लेकर अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष के श्री अध्यक्ष के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य नेता सदन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन केन्द्र सरकार से यह प्रस्ताव करता है कि

(क) उत्तराखण्ड राज्य के विशेष सामरिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस राज्य का विशेष दर्जा यथावत् बनाये रखा जाये एवं इसके अनुरूप केन्द्रीय सहायता के मानक भी यथावत् रखे जायें अर्थात् केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि 90:10 के अनुपात में ही रखी जाये।

(ख) हिमालयी–राज्य पूरे देश का वनाच्छादन एवं प्रभूत जल–स्रोत से परिपूर्ण होने के कारण परिस्थितिकीय सुरक्षा एवं संतुलन प्रदान करते हैं, परन्तु भौगोलिक कारणों तथा वन एवं पर्यावरण अधिनियम की बाधाओं एवं प्राविधानों के कारण विकास कार्यो की लागत अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। इस असंतुलन को दूर करने एवं संतुलित तथा समतामूलक विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों के लिये पृथक नीति/नीतियां प्रख्यापित की जायें तथा विशेष रूप से 'हरित बोनस' एवं 'जल बोनस' की पर्याप्त धनराशि इन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाये।''

नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे।

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रश्न उपस्थित हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

विपक्ष के सभी सदस्य और अधिक जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे। कुछ सदस्य अत्यधिक उत्तेजित होकर पीठ की ओर लपके। कुछ सदस्य उत्तेजना में सदन की सम्पदा को हानि पहुचाने लगे। प्रतिवेदक की मेज पलट दी गयी, माइक के साथ तोड़फोड़ की गयी तथा संसदीय साहित्य फाड़ कर उछालने लगे। कुछ सदस्य अपनी–अपनी मेज पर चढ़ गये। सदन की गरिमा तथा सम्पदा की सुरक्षा के दृष्टिगत मार्शल द्वारा यथोचित रोकथाम की कार्यवाही की गयी, जिससे स्थिति अराजक होने से रोकी जा सकें। इस पर विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा पीठ की ओर आक्रामक रूप से बढ़ने का प्रयास किया गया और अत्यधिक घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

> ''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

> ''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''

घोर व्यवधान के ही मध्य गृह विभाग द्वारा सरकार के 12 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के समानुपात आधार पर पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक (एम) के वेतनमान एवं ग्रेड वेतन को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति संशोधित उच्चीकृत विषयक दिनांक 18 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के संबंध में श्री कुंवर प्रणव सिह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा प्रस्तुत की गयी। चर्चा जारी रहेगी।

घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा विभाग द्वारा एक शैक्षणिक सत्र में एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्गत किये गये शासनादेशों में की गयी अलग–अलग व्यवस्था के अनुपालन में एक ही शैक्षणिक सत्र में अधिवर्षता आयु प्राप्त शिक्षकों के मध्य उत्पन्न विसंगति विषयक दिनांक 19 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–16 के संबंध में श्री पुष्कर सिह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्य का नाम पुकारा गया, परन्तु चर्चा प्रस्तुत नही की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 53 के अन्तर्गत

मा0 सदस्य	
1	श्री मदन कौशिक
2	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
3	डा0 प्रेम सिंह राणा
4	श्री पूरन सिंह फर्त्याल तथा
5	श्री चन्दन रामदास

कुल 5 सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं।

वे इनमें से मा0 सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐचंता बिही के गांव ज्ञानपुर गौढ़ी में आने–जाने हेतु यातायात का कोई साधन

न होने से हो रही कठिनाई के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत **वक्तव्य** के लिए तथा श्री चन्दन राम दास की सूचना जो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बन्दरों व सूअरों के कारण खेती में हो रही बाधाओं से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है,को **केवल वक्तव्य** के लिये स्वीकार करते हैं।

अत्यधिक घोर व्यवधान के मध्य **सदन की कार्यवाही 03 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**

(जगदीश चन्द)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(गोविन्द सिंह कुंजवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।